आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, सारण, छपरा

सी०सी०ए० वाद संख्या– 16/2021–22

बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा–3 के तहत

सरकार

बनाम

देव कुमार उर्फ मियां

****

23-07-2021

पुलिस अधीक्षक, सारण छपरा के पत्रांक 718/डी0सी0आर0 बी0 दिनांक–25.06.2021, द्वारा अपराधकर्मी देव कुमार उर्फ मियां, पिता–राजेन्द्र महतो, सा0–अम्बेदकर नगर, थाना–सोनपुर, जिला–सारण के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत कार्रवाई करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तुत वाद का सृजन करते हुए अपराधकर्मी को धारा–3(1) के तहत अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक– 12.07.2021 को नोटिस जारी किया गया। निर्गत नोटिस के आलोक में दिनांक–12.07.2021 को अपराधकर्मी के द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से हाजिरी दी गई एवं कारण–पृच्छा दाखिल किया गया।

अपराधकर्मी के द्वारा सुनवाई के दौरान तर्क दिया गया कि ये थानाध्यक्ष, सोनपुर द्वारा उनके विरूद्ध प्रतिवेदित सभी कांड निराधार एवं गलत है। ग्रामीणों द्वारा आपसी द्वेष के कारण उक्त सभी कांड को दर्ज कराया गया है। इनके विरूद्ध चार कांड के अलावे अन्य कोई कांड किसी भी थाना में दर्ज नहीं है एवं विपक्षी कानून का पालन करने वाले शांति प्रिय व्यक्ति है। इस आधार पर इनके द्वारा इस वाद से विमुक्त करने का अनुरोध किया गया।

यदि पुलिस अधीक्षक, सारण छपरा के द्वारा समर्पित प्रस्ताव एवं उसके साथ संलग्न कागजातों की चर्चा की जाए तो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर के द्वारा अंकित किया गया है कि –

"कुख्यात अपराधकर्मी देव कुमार उर्फ मियां एक असमाजिक अपराधिक प्रवृति के व्यक्ति हैं एवं

लूट/आर्म्स एक्ट जैसे कांडों में आरोपित है। इनसे गांव समाज में काफी दहशत बनी रहती है। इनका सांठ–गांठ असमाजिक तत्व के लोगों के साथ रहता है। इनके द्वारा कभी भी किसी तरह का अपराध करावाने की संभावना बनी रहती है। पंचायत चुनाव 2021 के अवसर पर अशांति फैला सकते हैं। प्रतिवेदक के द्वारा निम्नांकित कांडों को इनके बदर करने का आधार बतलाया गया है –

1. *सोनपुर थाना कांड संख्या–32/19, दिनांक–13.01.2019 धारा– 395/412 भा.द.वि.*
2. *सोनपुर थाना कांड संख्या–222/19 दिनांक–19.03.2019 धारा–392 भा.द.वि.*
3. *सोनपुर थाना कांड संख्या–282/19 दिनांक–21.04.2019 धारा–392 भा०द०वि०*
4. *सोनपुर थाना कांड संख्या–310/19 दिनांक–28.04.2019 धारा–412 भा.द.वि. एवं 25(1–बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट*

इस प्रकार से उपरोक्त के आधार पर जिला सारण, छपरा में अमन, चैन, शांति व्यवस्था एवंज न सामान्य की सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने हेतु उक्त अपराधकर्मी के विरूद्ध धारा–3 के तहत आदेश पारित करने की अनुशंसा की गई है।'

अन्य समर्पित कागजातों की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अपराधकर्मी के विरूद्ध कुल चार मामले दर्ज हैं। उक्त चार मामले भा.द.वि. की धारा 395/392/412/आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं। ये धारा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(डी)(1) एवं भा.द.वि. 1861 के Chapter XVI & Chapter XVII के तहत पूर्णरूपेण परिभाषित हैं। इनके द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपराधकर्मी के कारण–पृच्छा को अस्वीकृत किया जाता है।

इस प्रकार से प्राप्त प्रस्ताव एवं अभिलेख पर उपलब्ध

कागजातों के आधार पर प्रतिवादी के अपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूं कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(डी)(1) के अंतर्गत ये **"असामाजिक तत्व"** हैं तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य से समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या हो सकते हैं, भा.द.वि. 1861 के Chapter XVI & Chapter XVII के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है।

अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर **अपराधकर्मी देव कुमार उर्फ मियां, पिता–राजेन्द्र महतो, सा0–अम्बेदकर नगर, थाना–सोनपुर, जिला–सारण** को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा–3, उपधारा–3 के अंतर्गत सारण जिला में आसन्न पंचायत चुनाव 2021 को शांत एवं सौहादर्यपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने की प्रक्रिया पूर्ण होने तक के लिए जिला–सारण के **थाना** बदर किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे **आदेश प्राप्ति की तिथि से पानापुर थाना में प्रत्येक दिन सदेह उपस्थित होकर 10:00 बजे पूर्वा० से 11:00 बजे पूर्वा० तथा संध्या 05:00 बजे से 06:00 बजे के बीच** अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मतदान की तिथि को अपने मत का प्रयोग करने की स्थिति में संबंधित थानाध्यक्ष को, मतदान केन्द्र पर पहुंचने हेतु यात्रा रूट, चलने का समय एवं वापसी का समय अंकित कर पूर्ण ब्यौरा समर्पित करना होगा, तदुपरांत थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही मतदान केन्द्र हेतु प्रस्थान करेंगे। थानाध्यक्ष, पानापुर को निदेश दिया जाता है कि वे थाना में इसके लिए एक अलग से उपस्थिति पंजी संधारित करेंगे एवं उसमें अपराधकर्मी देव कुमार उर्फ मियां, पिता–राजेन्द्र महतो, सा0–अम्बेदकर नगर, थाना–सोनपुर, जिला–सारण का नाम अंकित कर प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इसका साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, सारण छपरा को निरन्तर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति अपराधकर्मी देव कुमार उर्फ मियां, पिता–राजेन्द्र महतो, सा0–अम्बेदकर नगर, थाना–सोनपुर, जिला–सारण को तामिला कराने हेतु इसकी एक प्रति थानाध्यक्ष, **पानापुर** थाना को भेजें।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, सारण छपरा को भेजें, उनसे अनुरोध होगा कि इस आदेश से अपने अधिनस्थ सभी थानाध्यक्ष को अवगत करा देंगे।

इस आदेश की प्रति जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क, सारण को भी आम जनता में प्रचार–प्रसार हेतु भेजें एवं एक प्रति सारण जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ हेतु आई.टी. मैनेजर को भेजें।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक:- 563 /न्या० दिनांक:- 28.7.2021

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- थानाध्यक्ष, पानापुर / सोनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई. टी. मैनेजर, जिला विज्ञान एवं सूचना केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- देव कुमार उर्फ मियाँ, पिता- राजेन्द्र महतो, सा०- अम्बेदकर नगर, थाना- सोनपुर, जिला- सारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा, सारण